भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1802

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड रद्द किया जाना और ई-केवाईसी सत्यापन

1802 श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

डॉ. नामदेव किरसान:

श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्तूबर 2025 तक देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने सक्रिय राशन कार्ड हैं;

(ख) वर्ष 2020 से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्ष-वार कुल कितने राशन कार्ड रद्द किए गए हैं;

(ग) राशन कार्ड रद्द करने के मुख्य कारण क्या हैं और वर्ष 2020 से अब तक इनमें से प्रत्येक कारण से रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(घ) ई-केवाईसी या आधार प्रमाणीकरण पूरा न कर पाने के कारण रद्द किये गये राशन कार्डों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ड.) क्या सरकार को गलत तरीके से राशन कार्ड रद्द करने की रिपोर्ट या शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पात्र लाभार्थियों को सत्यापित कर उन्हें पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशन कार्डों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): अब तक वर्षवार रद्द किए गए राशन कार्डों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

...2/-

(ग) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी सूचियों के प्रबंधन की परिचालनात्मक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राशन कार्ड रद्द करने के सूचित प्रमुख कारणों में डुप्लिकेट या अपात्र लाभार्थियों की पहचान, ई-केवाईसी में विसंगतियां, मृत्यु और परिवारों का स्थायी प्रवास शामिल हैं। केवल ई-केवाईसी या आधार प्रमाणीकरण पूरा न होने के कारण किसी भी राशन कार्ड के रद्द होने की सूचना नहीं मिली है।

(ङ.) और (च): राशन कार्ड के गलत तरीके से रद्द होने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट अथवा शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1802 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत डीएफपीडी द्वारा डीसीपी राज्यों को जारी राशि का विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्डों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,986
2.	आंध्र प्रदेश	88,37,973
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,86,406
4.	असम	70,68,187
5.	बिहार	2,08,74,181
6.	चंडीगढ़	86,572
7.	छत्तीसगढ	56,04,617
8.	दिल्ली	17,46,316
9.	गोवा	1,30,240
10.	गुजरात	75,17,392
11.	हरियाणा	40,62,740
12.	हिमाचल प्रदेश	7,47,697
13.	जम्मू और कश्मीर	16,58,939
14.	झारखंड	58,68,596
15.	कर्नाटक	1,10,07,879
16.	केरल	42,43,050
17.	लद्दाख	28,955
18.	लक्षद्वीप	5,434
19.	मध्य प्रदेश	1,31,57,651
20.	महाराष्ट्र	1,67,76,077
21.	मणिपुर	5,80,587
22.	मेघालय	4,16,735
23.	मिजोरम	1,79,704
24.	नागालैंड	3,30,075
25.	ओडिशा	71,08,753
26.	पुददुचेरी	2,08,089
27.	पंजाब	40,93,188
28.	राजस्थान	1,09,73,983
29.	सिक्किम	96,787
30.	तमिलनाडु	1,17,25,032
31.	तेलंगाना	56,60,367
32.	त्रिपुरा	6,04,704
33.	उत्तराखंड	13,91,325
34.	उत्तर प्रदेश	3,62,30,842
35.	पश्चिम बंगाल	1,37,25,879
कुल		**20,29,52,938**

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1802 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार रद्द किए गए राशन कार्ड (2020-25)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (अक्टूबर 25 तक)
1	आंध्र प्रदेश	24,523	13,128	30,94,232	52,610	49,215	50,681
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	431	196	950	47	512	102
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1,151	328	268	1,128
4	असम	21,291	11,120	28,590	38,590	1,61,516	24,381
5	बिहार	99,404	15,678	1,61,809	4,49,525	16,86,266	1,49,043
6	चंडीगढ़	-	-	684	2,291	207	2,401
7	छत्तीसगढ	4,508	10,400	20,715	29,108	57,371	60,496
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5,840	2,454	73	1	151	1,101
9	दिल्ली	518	448	116	3,686	61,292	11,438
10	गोवा	148	805	2,117	5,801	166	3,467
11	गुजरात	47,936	2,19,151	1,32,519	1,35,362	30,889	69,102
12	हरियाणा	-	-	1,96,174	8,49,972	3,28,557	13,43,474
13	हिमाचल प्रदेश	4,376	2,538	3,299	7,551	9,673	7,400
14	जम्मू और कश्मीर	13,224	33,677	2,927	5,403	4,767	3,036
15	झारखंड	65,234	-	75,137	29,771	6,374	67,730
16	कर्नाटक	31,753	42,558	48,477	74,401	27,105	50,594
17	केरल	52,475	1,04,511	41,998	40,800	11,555	7,261
18	लद्दाख	-	614	30	58	615	764
19	लक्षद्वीप	7	33	38	89	88	32
20	मध्य प्रदेश	1,65,829	9,93,704	98,186	4,96,092	7,04,848	2,60,285
21	महाराष्ट्र	1,31,986	36,119	1,44,985	2,01,676	1,74,342	1,33,469
22	मणिपुर	45,321	9,411	30,493	9,684	7,215	6,515
23	मेघालय	16	-	402	1,612	449	102
24	मिजोरम	1,443	1,637	3,617	4,115	2,548	742
25	नागालैंड	7,304	-	3,428	3,177	3,924	1,347
26	ओडिशा	-	-	64,122	31,240	19,420	1,21,134
27	पुददुचेरी	1,881	1,731	538	847	898	763
28	पंजाब	1,79,837	3,305	1,52,497	1,23,722	7,520	2,290
29	राजस्थान	5,80,241	1,35,283	2,65,390	26,386	1,03,444	6,05,826
30	सिक्किम	6,981	-	458	-	604	2,116
31	तमिलनाडु	-	2,00,942	86,150	73,875	63,905	33,339
32	तेलंगाना	12,154	-	4,988	34,064	3,424	1,40,947
33	त्रिपुरा	1,099	1,100	1,254	800	467	4,334
34	उत्तर प्रदेश	8,54,025	7,19,213	9,99,100	7,00,138	8,41,123	5,97,012
35	उत्तराखंड	-	49,712	66,627	9,691	4,589	3,014
36	पश्चिम बंगाल	59,666	2,93,326	6,47,003	7,56,860	5,09,952	3,74,519
	कुल	**24,19,451**	**29,02,794**	**63,80,274**	**41,99,373**	**48,85,259**	**41,41,385**

*****